भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-924
उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

आईआईटी में अनुसूचित जनजाति को आरक्षण

†924. श्री सु. वेंकटेशन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले शैक्षणिक वर्ष के दौरान आईआईटी में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के उम्मीदवारों की संख्या और प्रतिशत का संस्थान और पाठ्यक्रम-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) ऐसे कितने छात्रों को सामान्य श्रेणी में प्रवेश मिला; और
(ग) अ.ज.जा. के लिए आरक्षित स्थानों को भरना सुनिश्चित करने और आरक्षित स्थानों के अलावा सामान्य श्रेणी के माध्यम से प्रवेश हेतु सरकार द्वारा तैयार किए गए तंत्र का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): आईआईटी में पूर्व स्नातक कार्यक्रम के लिए प्रवेश चक्र वर्ष 2024-25 में आवंटित सीटों की कुल संख्या 17695 थी, जिनमें से एसटी छात्रों को आवंटित सीटें 1336 थीं, जो कुल आवंटन का 7.55% है। दो छात्रों ने सामान्य श्रेणी की सीटों के तहत प्रवेश लिया है, उनमें से एक ओपन के माध्यम से और दूसरा ओपन-पीडब्ल्यूडी के माध्यम से आवंटन श्रेणी के रूप में है।

संयुक्त सीट आवंटन प्राधिकरण (जेओएसएए) उम्मीदवारों की जेईई (एडवांस) रैंक के आधार पर आईआईटी में काउंसलिंग और सीट आवंटन के लिए जिम्मेदार निकाय है। काउंसलिंग की प्रक्रिया केंद्रीकृत है और सीट आवंटन अधिसूचित कार्य नियमों द्वारा शासित एक ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है। इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भारत सरकार द्वारा यथा अधिदेशित आरक्षण नीतियों का पालन किया जाता है।

*****